



हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)
(ISO 9001 : 2015 - Certified Organization)

महत्वपूर्ण सूचना

शैक्षिक सत्र 2020-21 कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों के एनरोलमेंट के लिए शैड्यूल बनाने, ऑनलाईन एप्लीकेशन लाईव करने एवं महत्वपूर्ण सूचना जारी करने बारे।

हरियाणा राज्य के सभी अस्थाई मान्यता प्राप्त एवं अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा नौवीं से बारहवीं के विद्यार्थियों की शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए एनरोलमेंट रिटर्न एक बार में (एकमुश्त) ऑन-लाईन दर्ज की जानी हैं। इसके लिए हरियाणा राज्य के नौवीं से बारहवीं के विद्यार्थियों के लिए 150/रु0 व अन्य राज्यों से प्रवासी विद्यार्थियों के लिए 200/-रु0 रूपए प्रति छात्र एनरोलमेंट शुल्क व इसके अलावा नौवीं व ग्यारहवीं के विद्यार्थियों को 50/-रु0 प्रति विद्यार्थी प्रश्न-पत्र शुल्क अतिरिक्त ऑनलाईन जमा करवाना होगा। एनरोलमेंट शुल्क कक्षा नौवीं व दसवीं के लिए ICICI एवं ग्यारहवीं व बारहवीं के लिए IDBI बैंक द्वारा गेटवे पेमेंट के माध्यम से लिया जाना है। छात्रों के फोटो स्कूल ड्रेस में होने चाहिए। एनरोलमेंट रिटर्न ऑन लाईन तिथियां निम्न प्रकार से हैं:-

कक्षा नौवीं से बारहवीं के अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों की एनरोलमेंट रिटर्न भरने की तिथियाँ :-

कक्षा	बिना विलम्ब शुल्क	शुद्धि के लिए अतिरिक्त समय
नौवीं से बारहवीं	16.12.2020 से 01.01.2021	02.01.2021 से 08.01.2021

अतः सभी सम्बन्धित संस्थाएं अपने विद्यार्थियों के एनरोलमेंट रिटर्न के आवेदन-पत्र उपरोक्त तिथियों में निर्धारित शुल्क (ऑन-लाईन) सहित जमा करवाना सुनिश्चित करें। कक्षा नौवीं से बारहवीं के छात्रों की एनरोलमेंट रिटर्न में परीक्षार्थी का आधार कार्ड दर्ज किया जाना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई के लिए हैल्पलाईन नं0 01664-254603 तथा मो0 नं0 7206497088 या सहायक सचिव (एनरोलमेंट) के फोन नं. 01664-244171 से 176 Ext. 164 पर सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हैल्पलाईन ई-मेल bsehenrollment.in@gmail.com एवं asenr@bseh.org.in पर ई-मेल भेजी जा सकती हैं।

इस सन्दर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश एवं एनरोलमेंट रिटर्न बारे लिंक www.bsehenrollment.in बोर्ड की वेबसाईट www.bseh.org.in पर उपलब्ध हैं।


सहायक सचिव (एनरोलमेंट)
कृते : सचिव

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।

(आई.एस.ओ. 9001-2015 प्रमाणित संस्थान)

क्रमांक : 1342 / एनरोलमेंट/सम्बद्धता

दिनांक : 15.12.2020

विषय : शैक्षिक सत्र 2020-21 कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों के एनरोलमेंट के लिए शैड्यूल बनाने, ऑनलाईन एप्लीकेशन लाईव करने एवं महत्वपूर्ण सूचना जारी करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में हरियाणा राज्य के कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों की सत्र 2020-21 के लिए "एनरोलमेंट रिटर्न" ऑनलाईन आवेदन का कार्य **M/s Sandipti Scandata Solution Pvt. Ltd. New Delhi** को अलॉट किया गया है। इससे सम्बन्धित शुल्क नौवीं व दसवीं कक्षा हेतु **ICICI** बैंक द्वारा एवं कक्षा ग्यारहवीं व बारहवीं हेतु **IDBI** बैंक द्वारा ऑनलाईन गेटवे पेमेंट के माध्यम से जमा होगा। बोर्ड बैठक दिनांक 05.07.2018 मद संख्या-37 (फाईल में पृष्ठ संख्या 108 से 110 पर उपलब्ध) के अनुसार हरियाणा राज्य के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित शुल्क 150/- रुपये प्रति विद्यार्थी एवं अन्य राज्य/बोर्ड से आए नियमित विद्यार्थियों के लिए 200/- रुपये प्रति विद्यार्थी होगा। "एनरोलमेंट रिटर्न" ऑन लाईन आवेदन करने का शैड्यूल बोर्ड बैठक दिनांक 29.09.2006 के मद संख्या 12 तथा बोर्ड बैठक दिनांक 07.10.2017 मद संख्या-9 (फाईल में पृष्ठ संख्या 26 पर उपलब्ध) के नियमानुसार एवं कोविड-19 के दृष्टिगत समय अभाव के मध्यनजर तैयार किया गया है, जो निम्न प्रकार है:-

कक्षा नौवीं से बारहवीं के अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों की एनरोलमेंट रिटर्न भरने की तिथियाँ :-

कक्षा	बिना विलम्ब शुल्क	शुद्धि के लिए अतिरिक्त समय
नौवीं से बारहवीं	16.12.2020 से 01.01.2021	02.01.2021 से 08.01.2021

कक्षा नौवीं एवं ग्यारहवीं के एनरोलमेंट आवेदन करने उपरान्त शुद्धि करने के लिए दिनांक 02.01.2021 से 08.01.2021 तक समय दिया गया है।

हरियाणा राज्य के सभी विद्यालयों को निर्देश जारी किये जाएंगे कि एनरोलमेंट रिटर्न हेतु आवेदन करने के लिए निचे दर्शाई गई सभी शर्तों की पालना करना सुनिश्चित करेंगे।

1. सभी सम्बन्धित संस्थाएं अपने विद्यार्थियों के "एनरोलमेंट रिटर्न" के आवेदन पत्र उपरोक्त तिथियों में निर्धारित शुल्क सहित एक बार ही (एकमुश्त) ऑन-लाईन करना सुनिश्चित करें। एनरोलमेंट हेतु विद्यालय का पासवर्ड जो पहले ही निर्धारित है।
2. इस समय कक्षा नौवीं से बारहवीं के उन्हीं विद्यार्थियों के एनरोलमेंट आवेदन किए जाने हैं, जिन्हें शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश दिया गया है।
3. कक्षा ग्यारहवीं के छात्रों का एनरोलमेंट कक्षा नौवीं में जारी किया गया ही यथावत् रहेगा। इसके अतिरिक्त कक्षा ग्यारहवीं में सभी छात्रों का विद्यालयों द्वारा पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा तथा कक्षा नौवीं एवं ग्यारहवीं के लिए 50/रु0 प्रति छात्र प्रश्न-पत्र शुल्क भी बोर्ड कार्यालय को भेजा जाना है, जिसके अनुसार हरियाणा राज्य के छात्रों के लिए 150+50=200/- तथा अन्य राज्यों से आए छात्रों के लिए 200+50=250/- रूपए प्रति छात्र एनरोलमेंट शुल्क ऑनलाईन जमा करवाना होगा। इस पंजीकरण के समय परीक्षार्थियों का संकाय एवं विषयों का डाटा भी बोर्ड कार्यालय को छात्रों के अनुसार भेजा जाएगा।
4. छात्रों के फोटो स्कूल ड्रैस में होने चाहिए। कक्षा नौवीं के छात्रों के एनरोलमेंट रिटर्न में परीक्षार्थी का वैकल्पिक विषय (छठा) दर्ज किया जाना आवश्यक है। एनरोलमेंट त्रुटि शुद्धि के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है।

5. जिन विद्यार्थियों का पहले ही एनरोलमेंट हो चुका है और ऐसे विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर दोबारा उसी कक्षा में दाखिला लिया गया है उनके एनरोलमेंट आवेदन फार्म दोबारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।
6. विद्यार्थियों के विवरण अपलोड करने उपरांत उनमें किसी प्रकार की त्रुटि शुद्धि के लिए विद्यालयों को शैड्यूल में समय दिया गया है। विद्यालय स्तर पर हुई त्रुटि का यदि किसी विद्यालय द्वारा समय पर समाधान नहीं किया जाता है तो ऐसी त्रुटि में संशोधन के लिए बोर्ड कार्यालय में मूल रिकार्ड **Withdrawal Register, Attendance Register, S.L.C./ Previous year Result व Admission Form** के साथ-साथ इन सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करके ऑफ-लाईन से संशोधन करवाना होगा और प्रति त्रुटि निर्धारित शुल्क 300/-रु० अदा करना होगा।
7. बोर्ड की वैबसाइट के एनरोलमेंट लिंक के अंत में निम्न अनुसार प्रमाण-पत्र दिया जाना अनिवार्य है। इसलिए सभी संबंधित विद्यालय उक्त विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ लें यदि बाद में किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है या मामला संज्ञान में आता है तो उसके लिए संबंधित विद्यालय जिम्मेवार होगा :-

CERTIFICATES:-

1. The Spelling of the Name, Father's Name, Mother's Name, Date of birth and other particulars mentioned in the return are in accordance with the relevant admission and withdrawal Register/Original Certificates. The admission of all students has been made in time.
2. The School has been granted recognition for this particular session by the Education Department of Haryana and affiliated to the Board.
3. It has been checked that the students admitted have not been disqualified by any Board/University of India.
4. All the students mentioned in the enrolment return except those admitted on migration from other State have been studying in this institution right from the beginning of the academic session and those admitted on migration have been admitted according to Board's rules.
 - a. **The name's of all the candidates who have been admitted up to the last date, are being sent in the enrolment return and no candidate has been left over.**
5. We have gone through the Rules/Regulation relating to enrolment carefully and the return is being sent according to these Rules/Regulations. If any mistake is found the School will be responsible.
6. **It is certified that the S.L.C./T.C. of other States have been verified and found correct. If at any stage, any S.L.C./T.C. found Bogus, the institution will be responsible.**
8. यदि किसी भी स्तर पर पाया गया कि संस्था द्वारा किसी छात्र को एनरोलमेंट के नियम/विनियमों के विपरीत गलत तरीके से प्रवेश दिया गया (जैसे एस०एल०सी०/टी०सी० बोगस पाए जाते हैं) है तो उस छात्र की पात्रता

रद्द कर दी जाएगी तथा छात्र सरकारी संस्था का होने पर मुखिया के खिलाफ कार्रवाही करने हेतु केस शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा और यदि छात्र अराजकीय मान्यता प्राप्त संस्था का है तो पहली गलती पाए जाने पर सम्बद्धता नियम 10 के अंतर्गत एक लाख रू0 (100000/-रू0) आर्थिक दण्ड तथा दूसरी गलती पाए जाने पर तीन लाख रू0 (300000/-रू0) का आर्थिक दण्ड व तीसरी गलती पाए जाने पर विद्यालय की सम्बद्धता रद्द कर दी जायेगी।

9. जिन संस्थाओं द्वारा बोर्ड कार्यालय के विनियमों की उल्लंघना करके छात्रों को गलत तरीके से प्रवेश दिये गये हैं और बोर्ड कार्यालय द्वारा उनके एनरोलमेंट क्रमांक रद्द करने तथा अनुक्रमांक जारी न करने की स्थिति में छात्रों द्वारा किसी भी कोर्ट में केस दायर करने पर बोर्ड कार्यालय को पार्टी बनाया जाता है तो विद्यालय से उनकी लापरवाही के लिए आने वाले कोर्ट केस का खर्च वसूला जाएगा तथा विद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
10. एनरोलमेंट के संबंध में पूछताछ हेतु बोर्ड कार्यालय में किसी भी अवस्था में छात्र/अभिभावक को न भेजा जाए।
11. एनरोलमेंट रिटर्न पर विद्यार्थियों की नवीनतम फोटो "विद्यालय वर्दी" में तथा उस पर तिथि अंकित होनी चाहिए।
12. शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए कक्षा नौवीं से बारहवीं के छात्रों की एनरोलमेंट रिटर्न में परीक्षार्थी का आधार नम्बर भी लिखा जाना आवश्यक है।
13. छात्र के पिता का आधार नम्बर भी भरें। यदि किसी कारणवश पिता का आधार नम्बर नहीं है तो माता का आधार नम्बर भरें। अन्य राज्य से आने वाले छात्रों की SLC/TC आवेदन फार्म भरते समय विद्यालयों द्वारा एनरोलमेंट Online Portal पर Upload करना अनिवार्य होगा। SLC/TC अपलोड नहीं किये जाने पर एनरोलमेंट आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे जिसके लिए विद्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा।
14. विद्यालयों द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि उनके विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के एनरोलमेंट के सभी आवेदन पत्र बोर्ड कार्यालय में एक बार (एकमुश्त) ही ऑन-लाईन भेजे। इसके पश्चात् आवेदन करने के लिए अनुमति नहीं होगी। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी छात्र का आवेदन-पत्र ऑफ-लाईन स्वीकार नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त दाखिला खारिज रजिस्टर

(Admission Withdrawl Register) में अंतिम विद्यार्थी के प्रवेश पृष्ठ की छायाप्रति भी अपलोड करवाई जानी अनिवार्य है।

15. किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई के लिए हैल्प लाईन नं0 01664-254603 तथा मोबाईल नं0 7206497088या सहायक सचिव (एनरोलमेंट) के फोन नं. 01664-244171 से 176 Ext. 164 पर सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एनरोलमेंट शाखा की ई-मेल आईडी0 asenr@bseh.org.in पर ई-मेल भेजी जा सकती है। इस संदर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश एवं एनरोलमेंट बारे लिंक www.bsehenrollment.in बोर्ड की वैबसाईट www.bseh.org.in पर उपलब्ध है।

एनरोलमेंट रिटर्न में भरे गए विवरण को ही कक्षा नौवीं से बारहवीं परीक्षा के आवेदन-पत्र ऑनलाईन करते समय उठाया जायेगा यदि किसी विद्यार्थी को एनरोलमेंट जारी नहीं हुआ है तो उसका परीक्षा आवेदन पत्र भी आन-लाईन नहीं भरा जा सकेगा।

अतः कृपया विद्यार्थियों का विवरण सही एवं रिकार्ड के अनुसार ही भरा जाए, ताकि बाद में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।


सहायक सचिव(एनरोलमेंट/सम्बद्धता)